प्रशिक्षण कार्यक्रम रिपोर्ट

5days Training On" Road Safety Management"-16

दिनांक 02-01-2023 से 06-01-2023

राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर।

राजस्थान पुलिस अकादमी में दिनांक 02-01-2023 से 06-01-2023 तक **Training On Road Safety Management** विषय पर पांच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम लेक्चर थियेटर में आयोजित किया गया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में राजस्थान के विभिन्न जिलों से 24 प्रतिभागियों जिसमें 03 सहायक उप निरीक्षक, 05 हैड कानि., व 16 कानि. ने भाग लिया।

प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रथम दिन **10:30-11:30AM** तक श्री कैलाश चंद्र, डीआईजी, राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर द्वारा लेक्चर थियेटर में उदघाटन किया गया। उसके बाद कोर्स में प्रतिभागियो का ग्रुप फोटो सेशन व पंजीकरण करवाया गया।

कोर्स के प्रथम दिन के प्रथम सत्र में श्री कप्तान सिंह, पुलिस निरीक्षक राजस्थान पुलिस अकादमी जयपुर ने परिचयात्मक सत्र: सड़क सुरक्षा प्रबंधन और सड़क सुरक्षा में पुलिस की भूमिका पर विस्तार से बताया। द्वितिय सत्र में श्री प्रवीण कुमार, टीआई शिक्षा, यातायात, जयपुर आयुक्तालय, जयपुर ने व्यावहारिक घटक: उपकरणों का प्रदर्शन और परिचय पर व्याख्यान दिया व तृतीय सत्र में श्रीमती इंदिरा अहलावत, उप निरीक्षक, शिक्षा, यातायात, जयपुर आयुक्तालय, जयपुर ने यातायात नियमों के उल्लंघन करने पर चालान/ई-चालान के बारे में विस्तार से जानकारी दी।

द्वितीय दिन के प्रथम सत्र में श्रीमती निधि सिंह, संयुक्त आयुक्त, सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ, जयपुर ने सरकार की सड़क सुरक्षा नीतियां के बारे में एवं द्वितीय सत्र में श्रीमती सीमा मल्होत्रा सलाहकार सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ जयपुर विभाग, जयपुर ने **IRC-**67 के अनुसार ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइस के अध्ययन के बारे में बताया। तृतीय सत्र में श्री यतीश गुप्ता, प्रबंधक, आईआरएडी, जयपुर ने **IRAD-** की सामान्य जानकारी और उपयोग पर व्याख्यान दिया । चतुर्थ सत्र में डॉ अश्विनी बागरिया, हड्डी रोग सर्जन, शेखावाटी अस्पताल जयपुर ने बुनियादी जीवन रक्षक तकनीकें एवं अच्छा समरीटन के नियम पर विस्तार से बताया।

तृतीय दिन के प्रथम व द्वितीय सत्र में श्री डॉ. आर.एस. शर्मा, अतिरिक्त निदेशक एफएसएल एवं उप-प्राचार्य सीडीटीआई, जयपुर (सेवानिवृत्त) ने सड़क दुर्घटना के मामलों में सड़क से सड़क सुरक्षा की जांच और फोरेंसिक विज्ञान का उपयोग **व** सड़क दुर्घटना के मामलों की जांच में वैज्ञानिक सहायता के बारे में विस्तार पूर्वक बताया। तृतीय सत्र में सुश्री नेहा खुल्लर मुस्कान एनजीओ, जयपुर ने सड़क सुरक्षा और सड़क सुरक्षा उन्मुखीकरण के लिए संस्थागत ढांचा के बारे में व्याख्यान दिया । चतुर्थ सत्र में श्री बी.एल. रावत मुख्य महाप्रबंधक, सीईजी लिमिटेड जयपुर ने सड़क सुरक्षा के लिए बुनियादी यातायात इंजीनियरिंग पर विस्तार पूर्वक बताया।

चतुर्थ दिन के श्री रमेश चौधरी, अभियोजन अधिकारी, आरपीए जयपुर ने सड़क यातायात संबंधी कानून पर व्याख्यान दिया। द्वितीय सत्र में श्री जगदीश शर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (सेवानिवृत्त) ने सड़क दुर्घटनाओं के हिट एंड रन मामलों की जांच पर विस्तार पूर्वक बताया। तृतीय व चतुर्थ सत्र में श्री विरेंद्र सिंह राठौड. अतिरिक्त आरटीओ, अजमेर ने **IRAD-** सामान्य सूचना और उपयोग व चतुर्थ सत्र में सड़क सुरक्षा मानक और प्रवर्तन और दुर्घटना जांच व शून्य दुर्घटना विस्तार, सड़क सुरक्षा चक्र विकसित करना पर व्याख्यान दिया।

पंचम दिन के प्रथम सत्र में श्रीमती सुनीता मीणा, एडिशनल डीसीपी, पुलिस कमिश्नरेट जयपुर ने सड़क दुर्घटना दावों के महत्वपूर्ण प्रावधान पर महत्वपूर्ण जानकारी दी । द्वितीय सत्र में श्री रमेश चौधरी, अभियोजन अधिकारी, आरपीए जयपुर ने हाल के संशोधनों सहित मोटर वाहन अधिनियम के महत्वपूर्ण प्रावधानों के बारे में विस्तार पूर्वक बताया।

श्री डॉ. रवि, डीआईजी, सिविल राईट्स राजस्थान जयपुर के मुख्य अतिथित्य में कोर्स के समापन सत्र का आयोजन किया गया, जिनके द्वारा प्रशिक्षणार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किये गये। कोर्स के अन्त में कोर्स डायरेक्टर कप्तान सिंह पुलिस निरीक्षक, आरपीए, जयपुर द्वारा धन्यवाद ज्ञापित कर कोर्स का विधिवत समापन किया गया।

हस्ताक्षर
कोर्स निदेशक